19/8/22	पत्रावली बाहुक्मे आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली पर मनन किया। प्रस्तुत प्रा. पत्र अनुसार मौजा सिंधुरा की आराजी नं. 4332, 4529/4332 जो कि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजी में जबरन दखलंदाजी करते हुये कब्जा करने पर उतारू है। इसलिये अप्रार्थीगण को मुद्दे बाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराते हुये वादग्रस्त भूमि को कब्जे सरकार लेकर रिसीवर के आदेश पारित किये जावे। प्रार्थना पत्र की पुष्टि में वकील अप्रार्थी द्वारा मुद्दे बाद में पावर पेश किया परन्तु प्रा. पत्र में न कोई जवाब पेश किया न ही अपनी बहस पेश की गई। पत्रावली में वकील प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या ठोस सबूत पेश करने में असफल रहे [illegible] माना जावे कि [illegible] की आराजी [illegible] करते हो। इसलिये [illegible] प्रार्थी का अपना प्रा. पत्र साबित करने में असफल रहा है। इसलिये प्रा. पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] पेश [illegible] शामिल हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:43:01 IST
Reason: SelfAttested